आखर हिंदी पत्रिका ; e-ISSN-2583-0597 खंड 2/अंक 3/सितंबर 2022
Received: 13/09/2022; Accepted: 14/09/2022; Reviewed: 20/09/2022; Published: 24/09/2022

राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा का प्रश्न तथा हिन्दी

- मोहन कुमार
शोधार्थी
हिंदी विभाग
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
मो. 7839045007
ईमेल- mohankr301@bhu.ac.in

मोहन कुमार, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा का प्रश्न तथा हिन्दी, आखर हिंदी पत्रिका, खंड 2/अंक 3/सितंबर 2022, (206-212)

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण भारतवर्ष सदा से विविधता में एकता का केंद्र रहा है। ऐतिहासिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और कला कौशल के विभिन्न आयाम भारत भूमि पर निर्मित एवं विकसित होते रहे हैं। प्राकृतिक मौसम से लेकर मानवी भाषा, खान-पान, वेशभूषा, रीती-रिवाज, पर्व-त्यौहार आदि विभिन्न क्षेत्रों में भारत में पर्याप्त विविधता देखी जाती रही है। एक समय था जब भारतवर्ष को 'सोने की चिड़िया' कह कर संबोधित किया जाता था। परंतु लंबे समय की विदेशी पराधीनता, गुलामी और शोषण ने भारत को खोखला कर दिया। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी स्तरों पर भारतवर्ष के शोषण और दोहन की लंबी अवधि ने भारतीय समाज में आपसी कलह और वैमनस्य के विभिन्न स्वरूपों को रेखांकित करने का कार्य किया,जो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद विकराल रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। राष्ट्रभाषा का प्रश्न एक ऐसा ही प्रश्न है। आजादी के पूर्व से ही हिंदी भारत की सर्वप्रमुख भाषा रही है। स्वाधीनता संग्राम में हिंदी भाषा के अवदान को भुलाया नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी जैसे महान शख्सियतों ने हिंदी को भारत की स्वाधीनता की चेतना से जोड़कर देखा है। 'स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में महात्मा गांधी जीवित थे। अंग्रेजी में उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा था किंतु वे भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। वे न इन भाषाओं पर हिंदी लादना चाहते थे, न हिन्दी लादने का हौआ खड़ा करके अंग्रेजी बनाये रखने के पक्ष में थे। वह भारत के उन नेताओं में थे जो अहिंदी भाषी होते हुए भी देश में सर्वत्र, और उत्तर भारत में विशेष रुप से, अपने हिंदी भाषणों द्वारा जनता को मोह लेते थे।"[1] इसलिए यह सच्चाई है कि स्वाधीनता आंदोलन के लंबे

कालखंड में हिंदी ही वह भाषा थी जिसने संपूर्ण देश और देशवासियों को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया और उनमें राष्ट्रीय मुक्ति और स्वाधीनता की चेतना को जागृत करने तथा लोगों को प्रेरणा प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम किया। इसलिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान पूरे देश में यह स्पष्ट धारणा थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी। अपने क्षेत्र विस्तार, समृद्ध शब्द भंडार, ऐतिहासिक परंपरा, वैज्ञानिक पद्धति और पठन-पाठन तथा लेखन की सरलता और सहजता के कारण हिंदी भाषा किसी भी अन्य भारतीय भाषा की तुलना में भारत की राष्ट्रभाषा बनने के लिए अधिक योग्य और उपयुक्त भाषा थी। संपूर्ण देश में इसका प्रसार था। परन्तु राजनीति अवरोधों के कारण स्वाधीनता के बाद हिंदी को संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर राज्यभाषा का दर्जा दिया गया। और यहीं से राष्ट्रभाषा का प्रश्न सुलझने के बजाय उलझा रह गया। एक तरफ जहां हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के अपने वैज्ञानिक तर्क और कारण थे वहीं दूसरी ओर इसके विरोध का भी चलन शुरू हो गया। इन व्यवधानों के कारण आजतक हिन्दी को लिखित रूप में राष्ट्रभाषा की संज्ञा नहीं दी जा सकी है। यद्यपि हिंदी को संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त न होकर राज्यभाषा का दर्जा प्राप्त है तथापि अपने व्यापक प्रयोजनों के कारण हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत होती है। समग्र विश्व में भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को ही देखा जाता है। वास्तविकता यही है कि राज्यभाषा का दर्जा मिलने के बावजूद हिंदी ही सच्चे अर्थों में भारत की राष्ट्रभाषा है। अन्य कोई भी भारतीय भाषा राष्ट्रभाषा बनने के सभी मानदंडों को पूर्ण नहीं कर सकती है। एकमात्र हिंदी भाषा ही भारत की राष्ट्रभाषा बनने के अधिकांश मानदंडों को अधिकतम रूप से पूर्ण करती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्यों की मुख्य भाषा हिन्दी ही है। जबकि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, जैसे राज्यों में हिंदी की मजबूत और व्यापक उपस्थिति और व्यवहार दर्ज किया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों और दक्षिण भारतीय राज्यों में भी सभी जगहों पर हिंदी का प्रसार है। उन क्षेत्रों के लोग सुगमतापूर्वक हिन्दी भाषा बोलते और समझते हैं। इस तरह सम्पूर्ण भारत में हिंदी भाषा को बोलने, समझने और लिखने-पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। यानी हिंदी का प्रसार पूरे देश में देखा जा सकता है। हिन्दी का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध है। वाक्य संरचना, विराम चिह्नों के प्रयोग, उच्चारण और व्याकरणिक दृष्टिकोण से भी हिन्दी अधिक वैज्ञानिक और सहज ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यधिक समृद्ध तथा समावेशी संस्कृति का है। हिंदी भाषा मुख्य रूप से अपने शब्दों के लिए संस्कृत के तत्सम शब्द पर और उससे बने तद्भव शब्दों के ऊपर निर्भर है तथापि अपने शब्द भंडार के वृद्धि और विस्तार के लिए हिंदी भाषा ने लोक बोलियों के देशज शब्दों को और विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहन किया है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। हिंदी भाषा का एक स्पष्ट और वैज्ञानिक व्याकरण है जो इसे मानक स्वरूप प्रदान करती है। और सबसे बड़ी विशेषता जो हिंदी के राष्ट्रभाषा होने की आवश्यकता पर बल देती है वह है इसका समृद्ध और महत्वपूर्ण प्राचीन व ऐतिहासिक परिपेक्ष जो भारतीय जनता के साथ हिंदी भाषा के भावात्मक और आत्मिक लगाव और जुड़ाव के मूल में है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उसके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय नीति नियम के समान ही राष्ट्रभाषा का होना भी नितांत आवश्यक होता है। राष्ट्रभाषा किसी देश की पहचान से जुड़ी होती है। वैश्विक मंचों पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा हमारी विशिष्ट पहचान को दर्शाती है। राष्ट्रभाषा के संबंध में महात्मा गांधी के

विचार थे कि 'राष्ट्रभाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्र के लिए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत की तरह राष्ट्रभाषा भी अनिवार्य है। जिस प्रकार राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत को संपूर्ण राष्ट्र गौरव का स्थान प्रदान करता है, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा को भी गौरवपूर्ण स्थान देना होगा।'[2] राष्ट्रभाषा की आवश्यकता किसी भी समर्थ और समृद्ध देश के लिए बहुत जरूरी होता है। यह दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी भारतीय संघ ने अपने लिए किसी राष्ट्रभाषा को निर्धारित नहीं किया है। जबकि उसके पास प्रत्येक दृष्टिकोण से राष्ट्रभाषा बनने के योग्य हिंदी भाषा मौजूद है। आजादी के अमृत महोत्सव के समय में यह आवश्यक हो गया है कि सभी छोटे-बड़े अड़चनों और बाधाओं को दूर कर सर्वसम्मति से वैधानिक रूप से हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राष्ट्रभाषा के रूप में विधिवत स्वीकार किया जाए। और इस प्रक्रिया में अन्य भारतीय भाषा-भाषी राज्यों और लोगों की चिंताओं का भी ध्यान रखा जाए। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किसी भी भारतीय भाषा को हिंदी भाषा से न तो कभी कोई खतरा था, न है और न ही कभी हो सकती है। हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं और दुनिया के विभिन्न भाषाओं को भी यदि खतरा है तो वह अंग्रेजी भाषा से है। अंग्रेजी भाषा की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति पूंजीवाद और बाजारवाद के कुचक्रों के सहारे आज दुनिया भर की भाषाओं को निगलने के लिए तैयार खड़ी है। इस स्थिति से किसी देश को वही भाषा बचा सकती है जो उस देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधि भाषा होगी। निसंकोच हिंदी ही वह भाषा है जो उपरोक्त आकांक्षाओं को पूरी कर भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। एक संवैधानिक बाध्यता को छोड़ दें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य तमाम शर्तों और मानदंडों को पूर्ण करती हुई हिंदी भाषा ही भारत की राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों है।

भाषा के माध्यम से मनुष्य न केवल अपने भावनाओं की सरल, सहज, सक्षम और अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति करता है बल्कि सर्जनात्मक गतिविधियों के लिए भी भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। भाषा ही वह अद्वितीय उपलब्धि है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अधिक विशिष्ट, विवेकवान, सक्रिय और समर्थ बनाती है। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा ने मनुष्य को वास्तविक अर्थ में मनुष्य बनाया है। आज के समय में भाषा विहीन मनुष्य और मानव समाज की कल्पना करना भी भयावह प्रतीत होता है। परंतु भाषा की उपलब्धि मनुष्य के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। विकास की एक लंबी प्रक्रिया के साथ मनुष्य ने अपने अनुकूल भाषा कौशल विकसित किया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और अनेक व्यक्तियों के बीच आपसी संपर्क निर्मित करने और भावनाओं के आदान-प्रदान के साथ साथ अभिव्यक्ति के विभिन्न स्वरूपों के लिए भाषा की आवश्यकता अनिवार्य है। लगभग 130 करोड़ की आबादी वाले भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न भाषा-भाषी लोगों की पर्याप्त संख्या पायी जाती है। भारत आरंभ से ही समृद्ध संस्कृति की भूमि रही है। यहां अनेक बोली और भाषा पायी जाती हैं। 'कोस-कोस पर पानी बदले और तीन कोस पर बानी' जैसे लोक कथन भारत की भाषिक विशेषता जिसमें प्रत्येक तीन कोस की दूरी पर बानी अर्थात बोली और भाषा के बदल जाने की विशेषता की ओर संकेत किया गया है, के आधार पर भारत में बोली और भाषा की चली आ रही समृद्ध परंपरा का परिचय प्राप्त होता है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या और समृद्ध भाषिक विरासत वाले देश में किसी एक भाषा का ही प्रयोग होना अत्यंत मुश्किल

और असंभव है। भारत में सैकड़ों बोली और भाषाओं का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है परंतु हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग भारत के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक समुदाय के लोग करते हैं। भारत के अधिकांश लोगों को हिंदी भाषा पढ़ने लिखने बोलने सुनने और समझने में सामान्यतया कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। भारत के हर हिस्से में लोग हिंदी भाषा आसानी से बोलते और समझते हैं। भारत के लोग जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में देश के भीतर आवागमन करते हैं तो वे अपनी बात हिंदी में ही व्यक्त करते हैं और एक दूसरे के साथ संपर्क से संपर्क साधते हैं। दक्षिण भारत में जहां द्रविड़ जाति की भाषाओं का प्रयोग अधिक होता है वहां भी हिंदी भाषा मुख्य संपर्क भाषा के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। उत्तर-पूर्व के राज्यों में जहां उनकी अपनी भाषाएं और विभिन्न बोलियां पाई जाती हैं वहां भी हिंदी भाषा ही प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। दक्षिण और उत्तर पूर्व के राज्यों के अलावा शेष अतिरिक्त भारत के राज्यों और गुजरात राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी हिंदी भाषा ही प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में दिखाई पड़ती है। इस तरह संपूर्ण भारत में हिंदी भाषा है सबसे बड़ी सबसे सरल सहज और कारगर ढंग से संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती रही है और की जा रही है इसलिए यह निर्विवाद है कि हिंदी ही भारत की सबसे प्रमुख संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भारत में ब्रिटिश राज के पूर्व से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। "हिंदी या हिंदी क्षेत्र की बोलियां अन्य भाषाएं बोलने वालों को कैसे प्रभावित कर रही थीं, इसके प्रमाण ब्रिटिश राज्य कायम होने से पहले ही मिलते हैं। ब्रजबुलि अर्थात मैथिली का प्रभाव बॅंगला पर पड़ा और वह इतना सरस था कि उस परंपरा का अनुकरण करते हुए आधुनिक काल में रविंद्रनाथ ने भानुसिंह पदावली की रचना की। श्री दिनेशचंद्र सेन ने बॅंगला साहित्य के इतिहास में लिखा है कि अंग्रेजी राज से पहले बंगाल के कवि हिंदुस्तानी सीखते थे…दिल्ली के मुसलमान शहंशाह के एकच्छत्र शासन के नीचे हिंदी सारे भारत की सामान्य भाषा (लिंगुआ फ्रांका) हो गयी थी।"[3]

सम्पर्क भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश या देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार-विनिमय के माध्यम का काम करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। दूसरे शब्दों में विभिन्न भाषा-भाषी वर्गों के बीच सम्प्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह सम्पर्क भाषा कहलाती है। 'सम्पर्क भाषा' की सामान्य परिभाषा यह है कि- 'एक भाषा-भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ सम्पर्क स्थापित कर सके, उसे सम्पर्क भाषा कहते हैं।' भारत में 'हिन्दी' बहुत पहले से ही सम्पर्क भाषा के रूप में रही है और इसीलिए यह बहुत पहले से 'राष्ट्रभाषा' कहलाती है क्योंकि हिन्दी की सार्वदेशिकता सम्पूर्ण भारत के सामाजिक स्वरूप का प्रतिफल है। भारत की विशालता के अनुरूप ही राष्ट्रभाषा विकसित हुई है, जिससे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम कहीं भी सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भाषा के रूप में हिन्दी का ही अधिकतर प्रयोग होता है। इस प्रकार इन सांस्कृतिक परम्पराओं से हिन्दी ही सार्वदेशिक भाषा के रूप में लोकप्रिय है। विशेषकर दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक सम्बन्धों की दृढ़ श्रृंखला के रूप में हिन्दी ही सशक्त भाषा बनीं।

वर्तमान समय में वैज्ञानिक-तकनीकी क्रांति के इस अति महत्वपूर्ण दौर में वैज्ञानिक-तकनीकी कर्मियों की संख्या की दृष्टि से भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। ये तकनीकी कर्मी विश्व के अलग-अलग देशों में काम करते हैं और हिंदी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार-माध्यम और कम्प्यूटर आदि के उपयोग में हिंदी ने धीरे-धीरे अपनी मजबूत जगह बना ली है। आज विश्व में मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ताओं की एक विशाल संख्या भारत में है। इससे एक तरफ इन माध्यमों से हिंदी का प्रसार हो रहा है, तो दूसरी तरफ हिंंदी क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक यंत्रों का बाजार भी फैल रहा है। इससे हिंदी की अंतरराष्ट्रीय भूमिका मजबूत हो रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने एक बार कहा था कि – यदि भारत को समझना है, तो हिंदी सीखो। वस्तुत: हिंदी हमारे चिंतन की, हमारे सपनों की, हमारे प्रतिरोध की भाषा बनकर हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्वायत्तता की रक्षा की भाषा बनकर हमें ताकत देती है। इसलिए आज दुनिया भर के लोग हिंदी सीखने और उसमें व्यवहार करने पर ध्यान दें रहे हैं। पूंजीवाद और भूमंडलीयकरण के इस दौर में जब खुले बाजार की व्यवस्था का बोलबाला है हिंदी भाषा राष्ट्रीय संपर्क भाषा की अपनी भूमिका से बढ़कर अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए अपनी पहचान निर्मित कर रही है।

आज भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत सुदृढ और अग्रगामी है। एक बड़े अंतराल के बाद लंबे समय से केंद्र में एक स्थायी और पूर्ण बहुमत की सरकार है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की साख में इजाफा हुआ है। 130 करोड़ की आबादी वाला देश दुनिया के लिए एक बहुत बड़े बाजार के रूप में अवसरों की अपार संभावनाएं उपलब्ध करवाता है। राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विभिन्न संगठनों और लोगों को भारतीय बाजार में प्रवेश की महत्वाकांक्षा है। थोड़ी सी सरकारी नियत और जन जागरूकता से हिंदी अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में मजबूती का प्रमाण यह है कि जहां एक तरफ दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों को हिंदी भाषा में डव करके चलाया जाता है और वह फिल्में कई सौ करोड़ रुपये का व्यापार करती है और मुनाफा कमाती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से हिंदी भाषी क्षेत्रों के राजनेता दक्षिण भारत में जाकर शुद्ध हिंदी में भाषण देते हैं। दक्षिण भारत के भी बहुत से कलाकार हिंदी क्षेत्रों में आकर हिंदी बोलकर लोगों के साथ अपना संपर्क बढ़ाते हैं। हाल के कुछ वर्षों में विदेशी पर्यटकों के रूप में भारत में पर्याप्त मात्रा में विदेशी आते हैं जिन्हें भारत के बाजारों, रेस्त्रां, घाट और पार्कों और सड़कों पर चलती हुए हिंदी में बोलते हो संपर्क करते देखा जा सकता है। आज आवश्यकता है कि राष्ट्रीय संपर्क भाषा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी की बढ़ती हुई भूमिका की शिनाख्त़ की जाए और उसे बढ़ावा भी दिया जाए। निसंदेह इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यंत आवश्यक है। तथापि भारत की जनता भी अपने स्तर से हिंदी की इस बदलती हुई भूमिका को अध्यापक और समृद्ध कर सकते हैं। बदलते समय संदर्भों के साथ सोशल मीडिया के विकास और विस्तार ने दुनिया को मुट्ठी में बंद एक मोबाइल में कैद कर दिया है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग के दौरान भी हिंदी भाषा के प्रयोग के माध्यम से संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की बदलती की भूमिका को और समृद्ध किया जा रहा है। इन विशेषताओं के कारण अब हिंदी भाषा राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा

के रूप में बढ़ रही है। यह स्थिति प्रत्येक हिंदी प्रेमी भारतवासी को गौरवान्वित करने वाला है। हिंदी भारत के किसानों मजदूरों शिक्षकों विद्यार्थियों और आम जनमानस की रोजमर्रा की जिंदगी में बोली जाने वाली भाषा है।

हिंदी भारतीय जनता की संपर्क भाषा है और इसलिए वह भारत की जनता की राष्ट्रभाषा भी है। संवैधानिक प्रावधानों से इधर भारतीय जनता ने हर्ष पूर्वक हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्पष्ट कहना था कि "मैं हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानता हूॅं। इसके प्रचार के लिए मुझसे जो कुछ बन पड़ रहा है, मैंने किया है।"[4] हिंदी भाषा का प्रश्न राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा से बढ़कर महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा भारतीय स्वाधीनता और स्वाभिमान की भाषा है। स्वाधीनता आंदोलन की सहयात्री रही हिंदी भाषा में अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी अभिव्यक्ति दर्ज की और जनता को अपने साथ जोड़ने का काम किया। वैश्विक परिदृश्य में भी आज हिंदी लगातार समृद्ध हो रही है। वर्तमान पूंजी आधारित बाजारवादी व्यवस्था में अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी भाषा ही सबसे मजबूत होकर उभर रही है। यही कारण है कि अमेरिकी और चीनी कंपनियों और सरकारों द्वारा अपनी लोगों को हिंदी भाषा सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। भाषायी दृष्टिकोण से हिंदी भाषी भारत की यह विशाल जनसंख्या हिंदी को राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अपने इतिहास में हमने राष्ट्रभाषा संबंधी कई गलतियां की हैं। चंद लोगों के विरोध के कारण हम अपनी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ी हिंदी भाषा के साथ अन्याय करते आ रहे हैं और अंग्रेजी भाषा के पिछलग्गू बने हैं। यह जरूरी हो गया है कि राष्ट्रभाषा संबंधी हुई ऐतिहासिक गलतियों से सबक लेकर राष्ट्रभाषा के संबंध में, हिंदी के पक्ष में एक स्पष्ट और मजबूत निर्णय लिया जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 'भाषा : साहित्य : देश' नामक अपने लेख में लिखा है कि "अफसोस करना बेकार है। हम जहां आप पड़े हैं वहीं से हमें यात्रा शुरू करनी है। काल-धर्म हमें पीछे नहीं लौटने देगा। हमें अपने को और अपनी दुनिया को समझने में अपने हजारों वर्षों के इतिहास का अनुभव प्राप्त है। हम इस दुनिया में नये नहीं हैं, नौसिखिए नहीं है। अपने संस्कारों और अनुभवों के लिए हमें गर्व है। ये हमें अपने को और अपनी दुनिया को समझने में सहायता पहुंचाएंगे। हमें याद रखना चाहिए कि अनुभव और संस्कार तभी वरदान होते हैं जब वे हमें आगे ठेल सकें, कर्मशील बना सकें। निठल्ले का अनुभव उसे खा जाता है और संस्कार उसे और भी अपाहिज बना देता है।"[5] राष्ट्रभाषा के निर्धारण में, उसके संबंध में निर्णय लेने में ये विचार हमारी मदद करेंगे। आज आवश्यकता है की आपसी सतही मतभेद को भुलाकर हिंदी को यथाशीघ्र संवैधानिक रूप से भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की जाए ताकि राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का और अधिक तीव्र विकास हो सके।

संदर्भ-ग्रंथ:-

1. रामविलास शर्मा, भाषा और समाज, राजकमल प्रकाशन, संस्करण 2010,पृ. 370

2. प्रो. सिद्धेश्वर प्रसाद, सं. विश्व हिन्दी, पृ. 203

3.रामविलास शर्मा, भाषा और समाज, राजकमल प्रकाशन, संस्करण 2010,पृ. 381

4. क्षेमचन्द्र सुमन, सं. राष्ट्रभाषा हिन्दी, राजकमल पब्लिकेशंस लिमिटेड दिल्ली,1948 ई., पृ.18

5.वही, पृ.152

****